

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर जिला-सलूम्वर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 30/2010 रा.वा.
जी.सी.एम.एस.नम्बर-2010/00030
उनवान

1. श्रीमती ज्योति बेवा गांगा डॉगी उम्र बालिग
2. श्री रोडीलाल पिता गांगा डॉगी उम्र बालिग
3. श्री डाया पिता गांगा डॉगी उम्र बालिग
4. श्री लाला पिता गांगा डॉगी उम्र बालिग
5. श्री अमरा पिता गांगा डॉगी उम्र बालिग
6. श्री देवा पिता गांगा डॉगी उम्र बालिग
निवासी उथरदा तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर।
7. श्रीमती देवूबाई पुत्री गांगा एवं पति पेमा डॉगी निवासी वली
8. श्रीमती रोडी पुत्री गांगा एवं पति नाथुजी निवासी सुलावास
9. श्रीमती वाली पुत्री गांगा एवं पति सवाजी निवासी भूतिया

—वादीगण

विरुद्ध

1. श्री खेमा पिता गोइन्दा डॉगी उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलूम्वर
2. श्री भीमा पिता खेमा डॉगी उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलूम्वर
3. श्री सवा पिता खेमा डॉगी उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलूम्वर
4. श्री नौजा पिता खेमा डॉगी उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलूम्वर
5. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्वर जिला सलूम्वर।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक:-12.01.2026



उपस्थिति: श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता - वादीगण
श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता - प्रतिवादीगण

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर उभयपक्ष की सहमती अनुसार निर्णय दिनांक 05-02-2020 द्वारा प्रकरण में मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा तहसील सलूम्वर जमाबंदी संवत् 2066-2069 खाता संख्या 728 नया व 844 पुराना के वादपत्र की क्रम संख्या 2 में वर्णित आंशिक आराजी नम्बर 2754/0.10, 2755/0.02 कुल किता 02 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि के बंटवाडे की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलूम्वर के पत्रांक 729 दिनांक 16-10-2025 से प्राप्त हुई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्षकारान को करवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं

करते हुये मुताबिक रिपोर्ट वाद मे अन्तिम डिक्री जारी किया जाना जाहिर किया है। उभयपक्ष को सुना गया व पालना रिपोर्ट का अवलोकन अध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः मौजा उथरदा, तहसील सलूमबर की आराजी नम्बर 2754/0.10, 2755/0.02 कुल किता 02 रकबा 0.12 हैक्टेयर वाद वर्णित आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है-

1. खातेदार का नाम- अमरा डाय्या देवा रोडा पिता गांगा, ज्योति पत्नी गांगा हिस्सा 5/6 उदयलाल गोतमलाल सुरजबाई कंकुबाई पिता लाला, गंगाबाई पत्नी लाला हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	2754/1	0.06	कु. प्रथम-0.05 पाली-0.01	1.63
योग	किता-01	0.06 है.	-	1.63

2. खातेदार का नाम- श्री नानजी भीमजी सवाजी पिता खेमा हिस्सा 3/4 लालीबाई पत्नी स्व. खेमा हिस्सा 1/4 सा. देह खातेदार


क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	2754/2	0.04	कु. प्रथम	1.29
2	2755	0.02	हकत तृतीय	0.05
योग	किता 02	0.06 है.	-	1.34

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। तथा उक्त खाते की शेष आराजीयात की भूमि खातेदारो के हिस्से अनुसार शामलाती रहेगी जिसका बटवाडा करने हेतु विधि द्वारा उपलब्ध उपाय अपनाने के लिये खातेदार स्वतन्त्र रहेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 12-01-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
 उपखण्ड अधिकारी, सलूमबर
 सहायक कलेक्टर सलूमबर
 जिला-सलूमबर
 जिला सलूमबर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 30/2010 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर-2010/00030

उनवान

1. श्रीमती ज्योति बेवा गांगा डोंगी उम्र बालिग
2. श्री रोडीलाल पिता गांगा डोंगी उम्र बालिग
3. श्री डाय्या पिता गांगा डोंगी उम्र बालिग
4. श्री लाला पिता गांगा डोंगी उम्र बालिग
5. श्री अमरा पिता गांगा डोंगी उम्र बालिग
6. श्री देवा पिता गांगा डोंगी उम्र बालिग
निवासी उथरदा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर।
7. श्रीमती देवूबाई पुत्री गांगा एवं पति पेमा डोंगी निवासी वली
8. श्रीमती रोडी पुत्री गांगा एवं पति नाथुजी निवासी सुलावास
9. श्रीमती वाली पुत्री गांगा एवं पति सवाजी निवासी भूतिया

—वादीगण

विरुद्ध

1. श्री खेमा पिता गोइन्दा डोंगी उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलुम्बर
2. श्री भीमा पिता खेमा डोंगी उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलुम्बर
3. श्री सवा पिता खेमा डोंगी उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलुम्बर
4. श्री नौजा पिता खेमा डोंगी उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलुम्बर
5. भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर जिला सलुम्बर।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:- 12/01/2026

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार जैन एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 12-01-2026 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर मौजा उथरदा, तहसील सलुम्बर की आराजी नम्बर 2754/0.10, 2755/0.02 कुल किता 02 रकबा 0.12 हैक्टेयर वाद वर्णित आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री के आदेश दिये जाते है—

1. खातेदार का नाम— अमरा डाय्या देवा रोड़ा पिता गांगा, ज्योति पत्नी गांगा हिस्सा 5/6 उदयलाल गोतमलाल सुरजबाई कंकुबाई पिता लाला, गंगाबाई पत्नी लाला हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	2754/1	0.06	कु. प्रथम-0.05 पाली-0.01	1.63
योग	किता-01	0.06 है.	—	1.63



(Signature)

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर

2. खातेदार का नाम- श्री नानजी भीमजी सवाजी पिता खेमा हिरसा 3/4 लालीवाडी पत्नी स्व. खेमा हिस्सा 1/4 सा. देह खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	2754/2	0.04	कु. प्रथम	1.29
2	2755	0.02	हकत तृतीय	0.05
योग	किता 02	0.06 है.	-	1.34

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। तथा उक्त खाते की शेष आराजीयात की भूमि खातेदारों के हिस्से अनुसार शामलाती रहेगी जिसका बटवाडा करने हेतु विधि द्वारा उपलब्ध उपाय अपनाने के लिये खातेदार स्वतन्त्र रहेंगे। पालार्थ तहसीलदार सलूम्वर को डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 12-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर
सहायक सलूम्वर सलूम्वर
जिला सलूम्वर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	01	-	शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-
2. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	-	प्लीडर की फीस	-	-
4. रूपयेपरलीडर की फीस	-	-	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	आदेशिका की तामील	-	-
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	-	कमिश्नर की फीस	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-		-	-
योग	05	-	योग	01	-

सहायक कलक्टर
सहायक सलूम्वर सलूम्वर
जिला सलूम्वर